श्री आनन्द बर्द्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 02.03.2026 को मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की 12th बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति :– संलग्न सूची अनुसार (संलग्नक–1)। संचालन समिति की ग्यारहवीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार निम्न विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे :–

1. जलागम निदेशालय, उत्तराखण्ड
2. पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड तथा
3. सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों व अन्य सम्मानित सदस्यों के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पावर प्वाईन्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संचालन समिति की 12th बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

उपस्थित सदस्यगणों के समक्ष बैठक का मुख्य ऐजन्डा प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् निर्धारित कार्यसूची के आधार पर बैठक निम्नानुसार प्रारम्भ की गई :–

कार्यसूची 12.1: संचालन समिति की दिनांक 30.09.2025 को आयोजित ग्यारहवीं बैठक में लिए गये निर्णयों की पुष्टि एवं अनुपालनः

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 30.09.2025 को आयोजित संचालन समिति की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अनुपालन आख्या के बिन्दु सं0–11.4 (iii) के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि के दौरान कैम्पा निधि से कराये गये कार्यों के तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान (IIFM), भोपाल से कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया गया है एवं MoU हस्ताक्षर करने की कार्यवाही माह मार्च 2026 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

बिन्दु सं0–11.4 (iv) के अनुपालन हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि IIFM भोपाल के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थान वन अनुसन्धान संस्थान (FRI), देहरादून, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा, भारतीय वन्यजीव

संस्थान (WII), वन सर्वेक्षण संस्थान (FSI), द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (TERI) आदि संस्थानों को सम्मिलित करते हुए NRM के क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी संस्थाओं का पैनल तैयार किया जाए, जिससे विभिन्न कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन का कार्य कराया जा सके। इस क्रम में IIFM, भोपाल से वर्ष 2021–22 से 2024–25 के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु गतिमान कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाये।

वृक्षारोपण की सफलता के मानक निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के स्तर पर उक्त पर कार्यवाही गतिमान है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च, 2026 के अन्त तक सफलता मानकों के निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

गढ़वाल एवं कुमांऊ क्षेत्रों में फॉरेस्ट फ्रन्टलाईन स्टाफ (रेंज स्तर तक के) आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इसकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही शासन स्तर से माह मार्च, 2026 में पूर्ण कर ली जाए।

मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत जलस्रोतों व जल धाराओं के उपचार हेतु कराए जा रहे एस0एम0सी0–डी0टी0आर0 आधारित कार्यों हेतु विस्तृत गाईडलाईन तैयार की जाएं, जिसमें जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा SARRA के लिए तैयार की गई गाईडलाईन व जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन का अध्ययन करते हुए इनके विशिष्ट अंशों को सम्मिलित किया जाए।

कार्यसूची संचालन समिति 12.2: उत्तराखण्ड कैम्पा की गत वर्ष 2025–26 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति।

प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित रू0 439.50 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष विभिन्न चरणों में रु0 403.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष शासन द्वारा आतिथि तक रू0 357.67 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा को अवमुक्त की गई एवं कैम्पा द्वारा वन प्रभागों को 28 फरवरी, 2026 तक रु0 324.48 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। प्रभागों द्वारा आतिथि तक रू0 232.66 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि कुल आवंटित धनराशि का 72% है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष समाप्ति पर प्रभागों को आवंटित धनराशि का लगभग 95 प्रतिशत व्यय कर लिया जाएगा।

वर्ष 2025–26 के अंतर्गत मुख्य मदवार स्वीकृति, शासन से प्राप्त धनराशि, प्रभागों को आवंटन एवं व्यय की अद्यतन स्थिति (दिनांक 28.02.2026 तक) निम्नानुसार है :–

धनराशि (करोड़ रु0 में)

विवरण	अनिवार्य गतिविधियां				एन0 पी0 वी0	अर्जित ब्याज	योग
	सी0ए0	कैट प्लान	अन्य	वन्यजीव प्रबंधन			
संचालन समिति द्वारा अनुमोदित ए0पी0ओ0	72.00	55.00	20.00	10.00	262.50	20.00	**439.50**
राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए0पी0ओ0	72.00	55.00	20.00	10.00	226.67	20.00	**403.67**
शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	60.00	35.00	20.00	10.00	226.67	6.00	**357.67**
कैम्पा द्वारा प्रभागों को आवंटित धनराशि	**60.00**	**35.00**	**17.49**	**9.62**	**196.36**	**6.00**	**324.48**
आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रगति	**44.32**	**25.51**	**10.16**	**6.20**	**144.47**	**2.00**	**232.66**
आवंटन के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत % में)	**74%**	**73%**	**58%**	**64%**	**74%**	**33%**	**72%**

क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग की स्थिति: समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2025–26 में क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत कुल 795.84 है0 वृक्षारोपण पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026–27 में 1000 है0 अग्रिम मृदा कार्य एवं 800 है0 क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात् कुल 853.21 है0 का बैकलॉग शेष रह जाएगा। विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

वर्ष	कुल वनीकरण लक्ष्य (है0 में)	वनीकरण की स्थिति (है0 में)	बैकलॉग (है0 में)
1980 to Mar 2023	59806.88	53142.42	1853.21* *2026–27 में प्रस्तावित अग्रिम मृदा कार्य – 1000 है0
2023-24		1697.23	
2024-25		1518.18	
2025-26		795.84	
2026-27	प्रस्तावित लक्ष्य	800.00	
Total		**57953.67** (96.90%)	

कार्यसूची संचालन समिति 12.3: कैम्पा निधि में उपलब्ध धनराशि तथा अर्जित ब्याज की अद्यतन स्थिति

समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि में निम्न तालिका के अनुसार विभिन्न घटकों के अंतर्गत दिनांक 31.03.2025 की तिथि के अनुसार रू0 2875.26 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।

धनराशि–करोड़ में

CA	CAT	Other	IWLMP	NPV	Interest
414.01	170.97	411.50	49.74	930.67	898.37

वर्ष 2024–25 के अंतर्गत CAF Fund पर प्राप्त रू0 110.79 करोड़ ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है। वर्ष 2025–26 हेतु भारत सरकार द्वारा कैम्पा निधि पर देय ब्याज की दर 3.35% घोषित की गयी है, जिसके आधार पर रू. 96.32 करोड़ धनराषि अर्जित ब्याज के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त होनी है। उक्त के अतिरिक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष वर्ष 2025–26 में वर्तमान तक राष्ट्रय कैम्पा से रू0 156.52 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है।

समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची 12.4: वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना

प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2026–27 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की दिनांक 12.01.2026 को संपन्न बैठक में कुल रू0 325.00 की वार्षिक कार्ययोजना अंतिमीकृत (Formulate) की गई है, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

धनराशि (करोड़ रू0 में)

अनिवार्य गतिविधियां				एन0 पी0 वी0	अर्जित ब्याज	योग
क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	वन्यजीव प्रबंधन			
60.00	15.19	40.35	15.00	186.31	8.15	**325.00**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि 'अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु' के एजेण्डा में अवगत कराया गया कि वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals हेतु NPV मद में कार्यकारी समिति द्वारा रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2989/3–6 दिनांक 26.02.2026 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 07 जिलों यथा पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उद्यमसिंह नगर एवं बागेश्वर में वन्यजीव ट्रांजिट सेंटर स्थापित किये जाने हेतु

रू0 2.00 करोड़ प्रति ट्रांजिट सेंटर के सम्भावित व्यय के अनुसार कुल रू0 14.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

CAF Rule, 2018 की धारा 6(a) (vi) के परिप्रेक्ष्य में Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals के अंतर्गत 07 ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटरों हेतु रू0 14.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि राज्य कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज मद में अनुमन्य गतिविधि होने के दृष्टिगत प्राविधानित की जानी प्रस्तावित है। समिति द्वारा उक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके पश्चात उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का कुल आकार रू0 339.00 करोड़ हो जाएगा, जिसका मदवार/घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

धनराशि (करोड़ रू0 में)

अनिवार्य गतिविधियां				एन0 पी0 वी0	अर्जित ब्याज	योग
सी0ए0	अन्य	कैट प्लान	वन्यजीव प्रबंधन			
60.00	15.19	40.35	15.00	186.31	22.15	**339.00**

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का मदवार/गतिविधिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
A	**Site-specific activities as per Section 6(a) of the CAF Act, 2016**							
1	Mandatory Activities	*Compensatory Afforestation*	**Advance Soil Work (0 - Year)**	ha	1000	13.71	172092	Oct-Mar
			Nursery/Planting Stock					
			(a) Raising of planting stock	No.	7,59,773	1.20	15063	Oct-Mar
			(b) Maintenance of Nursery plants.	No.	35,86,930	3.00	43933	12 months
			Planting Activities (1st Year)	ha	800	5.60	82008	Plant – Jun-Sept, Maint in 0 year - 09 months
			Maintenance of Plantations	ha	15846.39	36.49	687013	12 months
			Sub-Total - CA			**60.00**	**1000109**	
2-	Mandatory Activity	*Catchment Area Treatment Plan*	Watershed Management & Project Management activities in (1) Lakhwar HEP (2) Jamrani Multipurpose Project (3) Khutani HEP (4) Lohari Nagpala HEP (5) Song Dam Drinking Water Project (6) Tankul HEP	7 CAT Plans (Targets As per DPR)	ANR-566 Ha ANR Maint.- 1138 Ha ASW-192 Ha Plant. – 331 Ha Plant. Maint. – 1464 Ha Checkdams / Chalkhal– 2900 Nos Other activities	40.35	506485	12 months

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
			(7) Sirkari-Bhyol Rupsiabagadh					
3-	Mandatory Activity	*Integrated Wildlife Management Plan*	Habitat management for flora and fauna	As per plan	Creation of barrier. fencing, grassland development, water bodies, equipment for QRT, Patrolling, public awareness & other activities as per Plan under Pithoragarh, Terai Central, Haridwar & other Divisions as per CWLW.	15.00	188285	12 months
4-	Mandatory Activity	*OTHER site-specific activities w.r.t. FC proposals*	Mandatory Plantations (Roadside Plantations)	Nos.	11,262	3.24	13326	Plant – Jun-Sept, Maint in 0 year - 09 months
			Mandatory Plantations (Gap filling)	Nos./ ha	7,771 Nos. 83.44 ha	0.98	47866	
			Mandatory Plantations (Dwarf Species)	ha	91.06	3.52	67992	
			River Training Works	LS	Retaining walls, crate wire structures, spur construction in Gola, Kosi, Dabka & other rivers	5.00	62762	Oct-Mar
			Eco-Restoration works against Elevated stretch of Delhi-Dehradun Expressway-NH-72A	LS	ASW-20 Ha, Ponds-260 Nos, Lantana – 162 Ha. Contour Trench - 1500 Nos. etc.	2.45	35879	Oct-Mar
TOTAL MANDATORY WORKS						**130.54**	**1922703**	
B-1								
Activity as per Rule 5(2) of CAF Rules, 2018 (Not less than 80% of Rs. 186.31Cr. of NPV)								
1-	5(2)a	***Assisted Natural Regeneration (ANR)***	ANR Maintenance Activities	Ha	384	1.40	26360	12 months
2-	5(2)b	***Artificial Regeneration (AR)***	**Advance Soil Works**	Ha	750	11.74	147364	Oct-Mar
			Nursery/ Planting Stock					
			Preparation of nurseries/raising of plants	No.	19,24,978	3.88	48703	Oct-Mar
			Maintenance of Nurseries	No.	66,41,768	5.00	73222	12 months
			Plantation Activities	Ha	730	4.22	61808	Jun-Sept
			Watch and Ward (Plantation Maint.)	Ha	4179.05	8.27	155649	12 months
			Restoration of Degraded Forests (RDF) in 17 forest divisions.	Ha	23,562.46	14.00	175732	12 months
			Community Plantations under Harela	No. of plants	2,28,960	3.00	37657	July-Aug
			Sub-Total - ANR+AR			**51.51**	**726495**	
3-	5(2)d	***Protection of Plantations and forests***	Survey & Demarcation - DGPS Survey	Ha	State Level	10.00		12 months
			Construction/ upgradation and maintenance of fencing	Km	41.53	1.80	15063	Oct-Mar

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
			Construction & Maintenance of watch towers	No.	10 Nos. (New) 6 Nos. (Maint.)	1.00	8368	Oct-Mar
			Patrolling	Km	1863.98	1.00		12 months
			Purchase of equipment relevant to patrolling (Field Kit, GPS sets, camera traps, binoculars. Drones & other)	No.	93	1.00		Oct-Mar
			Microplanning & Combined microplanning of forests under Van Panchayats (VP)	No. of VPs	677	1.00		Oct-Mar
Sub-Total - Protection of Plantations & Forests						**15.80**	**23431**	
4-	5(2)f	***Forest fire prevention and control operations***	Fire line maintenance	km	1,894	0.52	8703	Oct-Mar
			Hiring of fire watchers	No.	1,400	6.38	111925	Mar-Jun
			Purchase of fire prevention/ fighting equipment	No.	800	0.50		Oct-Mar
			Awareness campaigns for fire prevention	No.	643	0.80		Oct-Mar
			Maintenance of fire Crew Stations (195) and Master Fire Control rooms(9), Wireless repair	No.	204	1.00		Mar-Jun
			Vehicle Hiring during fire season (04 months)	No.	61	0.60		Mar-Jun
			Fire prevention activities in Panchayati forests.	No. of VPs	1,580	2.00	25105	Mar-Jun
			Other incidental activities for fire prevention & control activities	LS	LS	0.20		Mar-Jun
			Sub-Total - Forest Fire Prevention			**12.00**	**145733**	**12.00**
5-	5(2)g	***Soil and moisture conservation works***	**SMC structures - Treatment of Streams (As per DTR)**					
			2nd, 3rd & 4th Year activities	No. of Streams	106	19.50	244770	Oct-Mar
			Conservation of Bugyals (alpine meadows) 39 Nos	Ha.	500	2.50	31381	Apr-Oct
Sub-Total - Soil & Moisture Conservation Measures						**22.00**	**276151**	
6-	5(2)i	***Improvement of wildlife habitat***	**Habitat management & Protection activities**					
			Water resource management/water holes	No.	314	0.75	9414	Oct-Mar
			Maintenance works in Lantana & other invasive species removal area	Ha	1,590	1.50	18828	12 months
			Human wildlife conflict (HWC) management	Nos.	12076 Nos. (cages. solar lights. equip. camera trap. drone.	8.60	35983	12 months

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
					T. guns-, gears, bullets, customized Veh for QRT etc., wireless)			
	5(2)i		Prevention of illicit felling, anti-poaching	Nos.	22 Divisions (Long dist. Patrolling, equipment, gears training & Awareness)	1.50	6276	12 months
			Forest Landscape Restoration (FLR) in 34 landscapes	Ha	50190	21.00	307531	12 months
			Pasture Development in wildlife areas	Ha	461.10 ha (incl. 161 ha maintenance)	1.00	14644	Oct-Mar
			Snow Leopard Conservation Center (ongoing in Uttarkashi Forest Division including Rs. 1.00 Crore for phase 2)	No.	1	3.00	25105	12 months
Sub-Total -						**37.35**	**417782**	
7-	5(2)k	***Establishment and maintenance of animal rescue center and veterinary treatment facilities for wild animals***	Animal Rescue & Rehabilitation Center & maintenance	No.	7 Nos. (Maintenance of 4 Nos. existing centers at Dhela, Ranibag, Chiriapur & Almora + 3 new transit rescue Centers at Pithoragarh, Champawat & Rudraprayag Divisions	5.00	41841	Oct-Mar
			Food for rescued / captive wildlife under rehabilitation	No.	7 Centers	2.00		12 months
Sub-Total - Animal Rescue Center						**7.00**	**41841**	
8-	5(2)m	***Management of biological diversity and biological resource***	Creation of seed stock /Orchards and their maintenance	No.	07	0.20	2929	12 months
			Research plots & their maintenance (Silva Hill 44 & Silva Sal 34 Nos.)	No.	78	3.69	46318	12 months
			Wildlife related Research incl. study on increasing incidents of HWC with Bear & population estimation of sparrow & other species.	Nos.	2	1.00	6061	12 months
Sub-Total - Management of Biological Diversity and Biological Resource						**4.89**	**55307**	
NPV Sub-Total Rule 5(2) CAF Rules, 2018				**80.81% of NPV**		**150.55**	**1686740**	
B-2	**Activities as per Rule 5(3) of the CAF, 2018 (Not more than 20% of Rs. 186.31 Cr. of NPV)**							
9-	5(3)a	***Establishment, Maintenance of modern nurseries (Badrinath, Garhwal & Mussoorie Forest Divisions)***	Centralized Modern Nurseries	No.	3	1.00	14644	Oct-Mar

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
10-	5(3)c	***Purchase and maintenance of equipment of devices for communication, information and technology, etc.***	Purchase of computers, wireless etc.	No.	190	1.00		Oct-Mar
			Software, programming etc.	-	LS	0.50		Oct-Mar
11-	5(3)d	***Construction, upgradation and maintenance of inspection paths, forest roads, fire line, watch towers, check posts and timber posts, etc.***	Maintenance of Forest roads/Bridle Path	km	1,795 km	8.00	100418	Oct-Mar
			Check Posts	No.	13	0.60	5021	Oct-Mar
12-	5(3)e	***Construction of residential and official buildings***	Quarters/offices for Frontline Staff (upto Range Office level)	No.	25 Nos.	17.00	142259	12 months
			Maintenance of frontline staff buildings constructed under CAMPA in previous years	No.	40 Nos.	1.00	8368	Oct-Mar
13-	5(3)g	***Survey and mapping***	Boundary Pillars	No.	679 Nos.	0.91	7615	Oct-Mar
14-	5(3)h	***Independent concurrent monitoring and third-party monitoring***	Monitoring & Evaluation (TPM / Internal/ Concurrent monitoring		Third Party Monitoring (2021-22 to 2024-25) & concurrent monitoring	0.50	6276	12 months
15-	5(3)i	***Publicity cum awareness programme***	Publicity and awareness programmes for common people (Signages, slogan board, printing of awareness material, advertisements)	No.	891	2.00		12 months
			Training of staffs	No.	995	2.25		12 months
			Strengthening of Training Facilities	No.	4 Nos (FTA Haldwani; Kalagarh; Chakrata; Dehradun	1.00	8368	Oct-Mar
		Sub-Total 5(3)			**19.19% of NPV**	**35.76**	**292971**	
Total NPV - 5(2)+5(3)						**186.31**	**1979711**	
C	**ACCRUED INTEREST**							
C-1	**Activities as per Rule 6(a) of CAF Rules, 2018**							
1-	6(a)i	***To offset incremental cost of CA/PCA at***		ha	As per actuals	2.35	29498	12 months

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
		increased wage rate						
2-	6(a)iv	*For disbursement of salary and allowances of members and staff- (Regular-6, others – 20)*		No.	Salaries	4.00		12 months
3-	6(a)v	*For disbursement of sitting fees and allowances to nominated members*		No.	As per actuals	0.05		12 months
4-	6(a) (vi)	*Activities referred to in sub-rules (2) and (3) of rule 5; (Rule 5(2)(k)-Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals)*		No.	07	14.00	117155	12 months
		Sub-Total 6(a)				**20.40**	**146653**	
C-2	**Activities as per Rule 6 (b) of CAF Rules, 2018**							
4-	6(b)i	*Management of office establishment*		No.	As per actuals	1.00		12 months
5-	6(b)ii	*Office equipment including computers and peripherals and its maintenance*		No.	As per actuals	0.25		12 months
6-	6(b)iii	*Hiring of staff cars for the use of officers and officials*		No.	As per actuals	0.10		12 months
7-	6(b)v	*Other contingencies for management of State Authority*		No.	As per actuals	0.40		12 months
		Sub-Total 6(b)				**1.75**		

S.No.	CAF Act/ Rules	Activity	Sub-activities	Unit	Physical Target	Proposed Financial Targets (In Crore Rs.)	Employment Generation (No. of man days)	Timeline
		Total Accrued Interest				22.15	146653	
GRAND TOTAL OF APO 2026-27						339.00	4049067	

कार्यसूची 12.5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।

(i) कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से रेस्क्यू सेंटर/ट्रांजिट सेंटर की स्थापना हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 14.00 करोड़ का प्राविधानः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में NPV मद में CAF Rule, 2018 की धारा 5(2)(k) के अन्तर्गत Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals हेतु रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है। कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतिमीकृत किये जाने के पश्चात् मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव के अनुसार 07 जिलों यथा पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उद्यमसिंह नगर एवं बागेश्वर में वन्यजीव ट्रांजिट सेंटर स्थापित किये जाने हेतु रू0 2.00 करोड़ प्रति ट्रांजिट सेंटर के सम्भावित व्यय के अनुसार कुल रू0 14.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधान करने हेतु मांग की गई है।

CAF Rule, 2018, Section 6- Utilisation of interest accrued on deposits in State Fund- The interest accrued on monies in the State Fund shall be used in the following manner: -

6(a) not less than sixty percent of the interest transferred to the State Fund and further, accrued on the amount available in the State Fund referred to in sub-rule (1) shall be spent on activities for the purpose of conservation and development of forest and wildlife namely: -

6(a) (vi) activities referred to in sub rules (2) and (3) of rule 5

उपरोक्त CAF Rule, 2018 के परिपेक्ष में Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals हेतु रू0 14.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि राज्य कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज मद में अनुमन्य गतिविधि होने के दृष्टिगत वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधानित की जानी प्रस्तावित है। **समिति उक्त से अवगत हुई एवं ऐजेन्डा सूची संख्या 12.4 के अनुसार वर्ष 2026–27 की वार्षिक**

कार्ययोजना का आकार रू0 325.00 करोड़ के स्थान पर 339.00 करोड़ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि_राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)_द्वारा 'Management of Tigers Outside Tiger Reserves: Strategies to Deal with Human Tiger Conflict' योजना, अंतिम रूप से स्वीकृत की गई है। उक्त हेतु NTCA द्वारा उत्तराखण्ड के निम्न वन प्रभागों को योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किया गया है:–

हल्द्वानी वन प्रभाग	तराई पूर्वी वन प्रभाग
लैंसडाउन वन प्रभाग	तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर वन प्रभाग	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग

योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक वन प्रभाग को रू0 90.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु, NTCA द्वारा (राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार के स्तर पर प्रबंधित 10% कैम्पा निधि से) रू0 5.40 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा को आवंटित की गई है। उक्त के आधार पर उपरोक्त प्रभागों को उनके प्रस्तावों के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है (वर्ष 2025–26 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त)। समिति उक्त से अवगत हुई।

(iii) अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय योजना में प्रोजेक्टवार प्रस्ताव सम्मिलित किये जाये जिससे कि कैम्पा के अंतर्गत किये गये कार्य आम जनमानस को भी प्रदर्शित किये जा सकें। अगली बैठक में ऐसे 10 प्रोजेक्ट का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये गये कि प्रस्ताव प्रोजक्ट/क्लस्टर (cluster) के रूप में तैयार कराये जायें। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरखण्ड द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत FLR योजना 10 वर्षीय प्रोजेक्ट के तौर पर, RDF योजना 08 वर्ष की योजना के आधार पर तथा DTR के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य 03 से 04 वर्षीय प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किये जा रहे हैं। 08 से 10 वर्षीय प्रोजक्ट का Mid-term Assessment एवं Final Assessment तथा 03 से 04 वर्षीय प्रोजक्ट का केवल Final Assessment कराया जायेगा।

(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा के अंतर्गत स्थल विशिष्ट / अन्य कार्यों में बायो फेन्सिंग एवं चेन लिंक फेंन्सिंग कार्य भी कराया जाये।

(v) अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय कैम्पा में राज्यांश की 10% जमा धनराशि के अंतर्गत यमुना नदी के पुनर्जीवन हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव **'Rejuvenation of Yamuna River Through Forestry Interventions'** को वित पोषण हेतु राष्ट्रीय कैम्पा को पुनः प्रेषित किया जाये।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन तथा अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं अन्य समस्त उपस्थित सदस्यों व सभी आमंत्रित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।

(कपिल लाल)
प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव–संचालन समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

अनुमोदित

(आनंद बर्द्धन)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
एवं अध्यक्ष–संचालन समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: **ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com**

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 906 /संचा0स0(12) दिनांक, देहरादून, 17 मार्च, 2026

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
5. प्रमुख सचिव/सचिव–ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव–कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
8. प्रमुख सचिव/सचिव–जनजाति, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. प्रमुख सचिव/सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
10. प्रमुख सचिव/सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
11. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (मुख्य वन संरक्षक–परियोजनाए) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
16. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
17. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन (विशेष आमंत्री)।
18. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन (विशेष आमंत्री)।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA उत्तराखण्ड, देहरादून (विशेष आमंत्री)।

(कपिल लाल)
प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 906 (1)/संचा0स0(12), उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2026 को सायं 05.00 बजे उत्तराखण्ड कैम्पा की बारहवीं संचालन समिति की बैठक की उपस्थिति

क्र0सं0	सदस्य	उपस्थित सदस्य/प्रतिनिधि का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	C. Ravishankar, Forest	
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Himanshu Khurana AS Finance	
3	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
4	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Rep. Bharat Bhatt Adl. Secy RD S.A. Tiwari Dy. Secy RD	
5	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Dr. Anand Srivastava Addl. Secretary	
6	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Revenue/Ag & FW	
7	प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	प्रतिनिधि: Prakash Thapliyal Accountant	
8	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Parag M. Dhakate Spl. Secretary, PR	
9	प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
10	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	R.K. Mishra	
11	प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
12	प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Dr. S.P. Subudhi.	
13	अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकारएवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	S K Paltrain	
14	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Neelima Shah	
15	जनजाति मामलों के सदस्य/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि		
16	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
	विशेष आमंत्री		
1	सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	गरिमा रौंकली अपर सचिव	
2	सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन	[illegible]	
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (SARRA) उत्तराखण्ड	KAHKASHAN NASEEM ACEO SARRA	